

माननीय न्यायमूर्ति पी. के. जैन के समक्ष

आय कर अधिकारी-याचिकाकर्ता,

बनाम

इंद्रजीत चोपड़ा,-प्रतिवादी।

सी. आर. एल एम. सं. 17700 का 1994

10 सितंबर, 1996।

आय कर अधिनियम, 1961- धारा. 276-सी और 277- आकलन तैयार करते समय आय छिपाने के लिए करदाता के खिलाफ शिकायत - करदाता का स्पष्टीकरण खारिज,-जुर्माना लगाया गया- रद्द की गई होल्डिंग करदाता ने अपने लेनदारों के स्रोत का पता लगाया था

अभिनिर्धारित गया कि प्रतिवादी के खिलाफ दायर शिकायत में आरोप की शिकायत मूल्यांकन वर्ष 1980-81 के लिए प्रतिवादी द्वारा आय को छिपाने और / या गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए है और उसी तथ्यों पर जुर्माना आदेश पारित किए गए थे। बेशक, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जुर्माने के आदेशों को इस निष्कर्ष के साथ रद्द कर दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा आय को छिपाया नहीं गया है। एक बार शिकायत का आधार गायब हो जाने के बाद, उसी आधार पर प्रतिवादी के अभियोजन के साथ आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं था।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. पी. साहनी के साथ अधिवक्ता संजय गोयल ।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार।

निर्णय

न्यायमूर्ति पी. के. जैन

- (1) आयकर अधिकारी, वार्ड-2, फरीदाबाद ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 2 जून, 1994 (अनुलग्नक पी.4) के आदेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता((इसके बाद इसे " संहिता " के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत यह

याचिका दायर की है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद द्वारा पारित 1 फरवरी, 1992 (अनुलग्नक पी.2) के आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम 1961(इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 276-सी और 277 के तहत दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 2 जून, 1994 (अनुलग्नक पी.4) के आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद द्वारा पारित 1 फरवरी, 1992 (अनुलग्नक पी.2) के आदेश पुष्टि की गई है।

- (2) स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि फरीदाबाद में मैसर्स मार्शल फाउंड्री एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम और शैली के तहत अपना व्यवसाय चला रहे श्री इंद्रजीत चोपड़ा इस अधिनियम के तहत एक करदाता आकलन वर्ष 1980-81 के लिए उन्होंने 31 जुलाई, 1981 को 8092 रुपये की आय दिखाते हुए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया जिसे 19 मार्च, 1983 को संशोधित किया गया जिसमें 4,252 रुपये की हानि दिखाई उक्त प्रतिवादी द्वारा 30 जुलाई, 1981 और 4 मार्च, 1983 को मूल विवरणी के साथ इसके अनुलग्नकों और संशोधित विवरणी के साथ हस्ताक्षरित और सत्यापित किया गया था। मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि प्रतिवादी के पिता श्री बिशन दास चोपड़ा और भाई श्री बीआर चोपड़ा के नाम पर क्रमशः 18,000 रुपये और 16,000 रुपये की सीमा तक कुछ नकद क्रेडिट पेश किए गए प्रतिवादी ने अपने पिता और भाई के हलफनामे दायर किए थे और आयकर अधिकारी ने भी उनकी जांच की थी। हालांकि, यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये व्यक्ति करदाता को कथित राशि देने की स्थिति में नहीं थे। तदनुसार, अज्ञात स्रोतों से प्रतिवादी की आय में 34,000 रुपये की राशि जोड़ी गई थी। यह मूल्यांकन 25 मार्च, 1983 को पूरा किया गया था। अपील में, 26 सितंबर, 1984 के आदेश के तहत 4086 रुपये की अनुतोष की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिवर्धन की पुष्टि की गई थी। दूसरी अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का समर्थन नहीं मिला और इसे 17 अक्टूबर, 1985 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
- (3) अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू की गई थी और 30 मार्च, 1985 के आदेश द्वारा प्रतिवादी पर 25,860 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित 24 अगस्त, 1989 के आदेश द्वारा प्रथम अपील में इस राशि को घटाकर 11,150 रुपये कर दिया गया था। असंतुष्ट महसूस करते हुए याचिकाकर्ता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली पीठ) के समक्ष अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और 10 मई, 1991 के आदेश द्वारा जुर्माना रद्द कर दिया गया।
- (4) इस बीच, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 276 सी और 277 के तहत शिकायत दर्ज करके प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन शुरू किया, इस आरोप पर कि प्रतिवादी ने

34,000 रुपये की उपरोक्त राशि पर अधिनियम के तहत कर, जुर्माना और ब्याज से बचने का प्रयास किया था, जिसे अज्ञात स्रोतों से उसकी आय के रूप में जोड़ा गया प्रतिवादी को बुलाया गया और आरोप-पूर्व साक्ष्य दर्ज किए 11 सितंबर, 1991 को, प्रतिवादी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ऊपर संदर्भित) द्वारा पारित 10 मई, 1991 के आदेश को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कांशी राम वाधवा बनाम आयकर अधिकारी, कुरुक्षेत्र (1984) 145 आईटीआर 109 मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए आवेदन स्वीकार कर लिया, और शिकायत को खारिज कर दिया और 1 फरवरी, 1992 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को आरोपमुक्त कर दिया (अनुलग्नक पी.2) उक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति का समर्थन नहीं मिला और इसे लागू आदेश (अनुबंध पी.4) द्वारा खारिज कर दिया गया। अब याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 482 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

- (5) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।
- (6) श्री आर पी साहनी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए तर्क दिया है कि 25 मार्च, 1983 के आकलन के आदेश के अनुरूप है जिसके तहत अघोषित स्रोतों से प्रतिवादी की आय में 34000 रुपये की राशि जोड़ी गई थी, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दूसरी अपील दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 के आदेश में भी अनुरूप और बरकरार रखा गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि एक बार जब इस तरह के आकलन को सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड की कार्यवाही शुरू की गई थी और उसके बाद कानून के अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन भी शुरू किया गया था। विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक बार प्रतिवादी की आय में वृद्धि को बरकरार रखने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा केवल आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली पीठ) द्वारा पारित 10 मई, 1991 के आदेश के आधार पर अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है।
- (7) इस दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने पी. जयप्पन बनाम एस. के. पेटूमल प्रथम आयकर अधिकारी पर भरोसा किया है। तूतीकोरिन (1984) 149 आई.टी.आर. 696, अशोक बिस्किट वर्क्स और अन्य बनाम आयकर अधिकारी, ई-वार्ड, सर्कल II, हैदराबाद (1988) 171 आई.टी.आर. 300, आयकर अधिकारी बनाम एमर्सन की पॉल प्लास्टिक कंपनी और अन्य (1901) 19:1 आई.टी.आर. 560, विनोद कुमार बनाम आयकर अधिकारी और अन्य (1993) 200 आई.टी.आर. 79, मदुरा चिट एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम आयकर अधिकारी (1994) 208 आई.टी.आर. 228, वनजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य बनाम निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त

(1994) 208 आई.टी.आर. 602 और आयकर उपायुक्त बनाम मॉडर्न मोटर वर्क्स एंड अन्य (1996) 220 आई.टी.आर. 415.

(8) दूसरी ओर प्रतिवादी के वकील श्री हेमंत कुमारी ने तर्क दिया है कि यदी एक बार अधिनियम के तहत सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाल दिया है की है कि प्रतिवादी की ओर से कोई छिपाव नहीं था और जुर्माना रद्द कर दिया गया था, इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति ने शिकायत को खारिज करने के साथ-साथ पुनरीक्षण को उचित ठहराया शिकायत की बुनियाद ही । विद्वान वकील ने पी. जयकप्पन के मामले (सुप्रा), कांशी राम वक्फ मामले (सुप्रा), आयकर अधिकारी वी. बी. बी. मित्तल और अन्य वी. राजशेखरन नायर बनाम अन्य पर भरोसा जताया है। आयकर और अन्य आयुक्त (1993) 204 आई.टी.आर. 783 और जी.एल. डिडवानिया और एक अन्य वी. आयकर अधिकारी और एक अन्य 1995 अधीक्षक (2) एस.सी.सी. 724 ।

(9) मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के द्वार दिए गए संबंधित तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उनके समर्थन में उद्धृत विभिन्न निर्णयों का भी अवलोकन किया है।

(10) चूंकि दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने पी. जयप्पन के मामले (सुप्रा) में शीर्ष अदालत के फैसले से समर्थन लिया है, इसलिए उसी का संदर्भ देना उचित होगा। उस मामले में याचिकाकर्ता-करदाता ने 20 जनवरी, 1978 को अपनी आय के साथ लाभ और हानि खाते, परीक्षण शेष, आयकर समायोजन विवरण और पूंजी खाते की एक प्रति का खुलासा करते हुए अपना रिटर्न दाखिल किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, 20 और 21 अगस्त, 1981 को अधिनियम की धारा 132 के तहत उनके आवास पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप कई दस्तावेज और खाता पुस्तिकाएं जब्त की गईं, और यह पता चला कि याचिकाकर्ता ने गलत रिटर्न दाखिल किया था और मूल्यांकन कार्यवाही में उन्हें वास्तविक के रूप में उपयोग करने के इरादे से झूठे खाते रखे थे। फलस्वरूप उसके खिलाफ पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई। इसके साथ ही, अधिनियम की धारा 276-सी और 277 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 193 और 196 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार शिकायतें दर्ज की गईं। उच्च न्यायालय के समक्ष विफल होने के बाद, याचिकाकर्ता ने उन सभी चार मामलों में अपील करने की अनुमति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन परिस्थितियों में, याचिका को खारिज करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति द्वारा ने निम्नानुसार टिप्पणी की :

“पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का लंबित रहना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276 सी या धारा 277 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आपराधिक अभियोजन की संस्था के

लिए एक रोक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। न ही आपराधिक कार्यवाही की संस्था, इन परिस्थितियों में, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कहा जा सकता है।

... आयकर अधिनियम के तहत अपील या संदर्भ में किसी कार्यवाही में सफलता की उम्मीद केवल अधिनियम की धारा 276 सी और धारा 277 के तहत आपराधिक कार्यवाही की संस्था के रास्ते में नहीं आ सकती है।“

अधिनियम और संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ने कहा :

“आपराधिक अदालत को उसके समक्ष रखे गए सबूतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से मामले का न्याय करना होता है। उपयुक्त मामलों में, आपराधिक न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक मामले की सुनवाई को स्थगित कर सकता है, या टाल सकता है यदि आयकर अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही का निपटान, जिसका आसन्न होने से पहले कार्यवाही पर असर पड़ता है, ताकि वह उसमें पारित किए जाने वाले आदेश को भी ध्यान में रख सके।“

इस निर्णय में निर्धारित कानून के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का लंबित होना अधिनियम की धारा 276 सी या 277 के तहत अपराध के लिए एक करदाता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई रोक नहीं है। साथ ही, माननीय न्यायमूर्ति द्वारा यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक न्यायालय इस मुद्दे पर प्रभाव डालने वाले अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के परिणाम को उचित सम्मान देने के लिए बाध्य है और अधिनियम के तहत पारित आदेश के आलोक में उचित मामले में कार्यवाही को छोड़ सकता है।

- (11) उत्तम चंद बनाम आईटीओ, [133 आईटीआर 909 (एससी) मामले में दिए गए एक अन्य फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि दंड की निरंतरता के लिए कोई मामला नहीं है, तो यह समान रूप से आपराधिक अभियोजन का मामला नहीं है। जीएल डिडवानिया के मामले में दिए गए फैसले में, 224 आईटीआर 687 (एससी) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह पाया की आकलन प्राधिकरण के निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया था क्योंकि करदाता ने जानबूझकर अपनी आय छिपाई थी, तो माननीय न्यायालय ने करदाता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया था। उत्तम चंद [1982] 133 आई. टी. आर 909 (SC) और पी. जयप्पन के मामले में पहले व्यक्त किए गए विचारों की पुष्टि की गई। निर्णय के पैरा 4 में निष्कर्ष निकालते हुए, उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार टिप्पणी की (224 आई.टी.आर के पृष्ठ 690 पर):

“इस मामले में, मामले का सार आकर्षित होता है और क्या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर अभियोजन को बनाए रखा जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मूल्यांकन प्राधिकरण ने माना कि अपीलकर्ता-करदाता ने यंग इंडिया एंड-ट्रांसपोर्ट कंपनी की आय के संबंध में गलत बयान दिया और उस निष्कर्ष को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है। अगर यह स्थिति है तो हम यह देखने में असमर्थ हैं कि आपराधिक कार्यवाही कैसे जारी रखी जा सकती है।”

उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, बाकी उच्च न्यायालयों के अन्य निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

(12) इस मामले में, यह दोहराया जा सकता है कि दंड की कार्यवाही 30 मार्च, 1985 को शुरू की गई थी और अंतिम रूप दिया गया था, और 25,860 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे 24 अगस्त, 1989 के आदेश के तहत पहली अपील में घटाकर 11,150 रुपये कर दिया गया था। हालांकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 10 मई, 1991 के आदेश द्वारा अपील की अनुमति दी और जुर्माना रद्द कर दिया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के पैरा 4 में कहा गया है:

“प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य पर भी विचार करने के बाद कि इस मामले में करदाता ने यह स्थापित कर दिया है कि धन व्यक्तियों से आया था और उनके स्रोत भी स्थापित हो गए हैं और स्रोत पर्याप्त थे या नहीं, इस पर केवल उनके हाथों में विचार किया जा सकता था, न कि करदाता के हाथों में। स्पष्टीकरण की अस्वीकृति स्वचालित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि करदाता की ओर से छिपाया गया था, जुर्माना तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। परिणाम में, अपील की अनुमति दी जाती है।”

(13) यह भी कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसे भी खारिज कर दिया गया था और याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 256 (2) के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कोई कदम उठाने की परवाह नहीं की। प्रतिवादी के खिलाफ दायर शिकायत में आरोप का आधार आकलन वर्ष 1980-81 के लिए प्रतिवादी द्वारा आय को छिपाना और/या गलत विवरण प्रस्तुत करना है और उन्हीं तथ्यों पर जुर्माना आदेश पारित किए गए थे। यह माना हुआ है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जुर्माना आदेशों को इस निष्कर्ष के साथ रद्द कर दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा आय को छिपाने का कोई तरीका नहीं है। एक बार शिकायत का आधार गायब हो जाने के बाद, उसी आधार पर प्रतिवादी के अभियोजन के साथ आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं था। मुझे नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित दो आदेशों (अनुलग्नक पी.2 और पी.4 में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं मिलती है।

(14) ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए मुझे इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आता और इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा